

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां
कैम्प बिजौलियाँ खुर्द जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री प्रवीण कुमार (RAS)

वादपत्र संख्या 9/2018

दायर तारीख 05.04.2018

1 प्रकाश पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....वादी

बनाम

1. कैलाश पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. गोपाल पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. मोहन पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
4. लीला पुत्री काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। हाल मुकाम पत्नि गोपाल धाकड नि० डोबियां तहसील बिजौलियां
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा०टी०एक्ट

--: निर्णय :-

दिनांक :- 04.05.2018

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.04.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बिजौलियां खुर्द स्थित आ०न० 211 रकबा 4 बीघा 18 बीस्वा आराजी नं० 1996/119 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा, आराजी नं० 1999/1421 रकबा 2 बीघा 9 बीस्वा, आराजी नं० 2000/1421 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा किता 4 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा में वादी का 1/5 हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने हेतु तहसीलदार बिजौलिया को आदेशित किया गया था। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/106 दिनांक 04.05.2018 से विभाजन कर विभाजन पत्रादि इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है प्राप्त विभाजन पत्र अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	प्रकाश पिता काना धाकड साकिन देह	बिजौलियां	211/1	1-00	-

02	कैलाश, गोपाल, मोहन पिता काना लीला पुत्री काना धाकड साकिन देह खातेदार	बिजौलियां खुर्द	211 119 1999 / 1421 2000 / 1421	3-18 0-18 2-09 1-08	-
	योग		किता 04	8-13	-

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

JK
04/05/18
(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (नवाड़ा)
कैम्प बिजौलियां खुर्द